



**भारत सरकार / Government of India**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**Ministry of Environment, Forest & Climate Change**  
**क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office**  
 पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002  
 Add: 2<sup>nd</sup> Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002  
 Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: FP/BR/Pipeline/154538/2022/257

दिनांक: 26.04.2024

सेवा में,

**प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव,**  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
 बिहार सरकार, सिंचाई भवन, सचिवालय,  
 पटना – 800015.

**विषय:** भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा पारादीप-नुमालीगढ़ Crude Oil Underground Pipeline बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत **0.42541 हे०** वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक श्रीमान के पत्र संख्या **वन भूमि-05/2024-157/प.व.ज.प., पटना -15 दिनांक 15.03.2024** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव से सम्बंधित आवेदन के जाचोपरांत यह पाया गया की प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में कतिपय खामियां पायी गयी है, अतः सक्षम स्तर से प्रस्ताव को प्रसंस्कृत कर निम्नलिखित दस्तावेजो/जानकारी को अपलोड कराने की कृपा करे;

- No objection certificates from the concerned dept. like Railway/Road/Canal dept. needs to be uploaded on portal.
- Undertaking for FRA certificate needs to be uploaded on portal.
- The kml of complete alignment of proposed route for laying of pipeline is not available on parivesh portal. This needs to be uploaded on portal.
- Area proposed for diversion is 0.42541 ha. but as per DSS analysis it is calculated as 1.434 ha. This needs rectification.
- The .kml, toposheet and DGPS map uploaded at sl no. 13 under Araria division in Part-II of the proposal for the proposed CA site is wrong. Corrected .kml file of proposed CA area, toposheet and DGPS map needs to be uploaded on PARIVESH portal.
- Site suitability certificate of proposed CA area needs to be uploaded on portal.
- As per DSS report, it seems that the area proposed for diversion is in violation of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. This needs to be clarified.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज/जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कारवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित कर अनुगृहित किया जाये।

विश्वासभाजन,

(शशि शंकर)

उप महानिरीक्षक वन

**प्रतिलिपि:-** प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खां मार्ग, पटना-800014.